मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
सहारनपुर रोड़, ट्रान्सपोर्ट नगर, देहरादून–248001
फोनः– 0135–6603100, 0135–6603111 फैक्सः–0135–6603103

मैनुअल–4

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वंय द्वारा स्थापित मापमान ।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रिया कलापों/कार्यक्रमों का सम्पादन निम्नलिखित मानकों/नियमों के आधार पर किया जाता है –

1:– उत्तरांचल(उ0प्र0नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) की धाराओं/उपधाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करना ।

2:– देहरादून विकास क्षेत्र हेतु भवन निर्माण एंव विकास उपविधि 2001 एंव संसोधन 2003, 2007 के अनुसार कार्यवाही करना ।

3:– मसूरी विकास क्षेत्र हेतु भवन निर्माण एंव विकास उपविधि 1985 एंव ष्षासनादेषों के अनुसार कार्यवाही करना ।

4:– देहरादून महायोजना 1982–2001 के आधार पर क्रियान्वयन ।

5:– ष्षमन उपविधि–1998 एंव संसोधन–2003 के अनुसार कार्यवाही करना ।

6:– ष्षासन द्वारा जारी आवासीय योजना हेतु सम्पत्ति पंजीकरण एंव आवंटन नियमावली के अनुसार कार्यवाही करना ।

7:– ष्षासन द्वारा आयुक्त/अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत देहरादून एंव मसूरी विकास क्षेत्र में विकास कार्य करना ।

8:– ष्षासन द्वारा आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्राधिकरण बोर्ड द्वारा समय–2 पर दिये गये निर्देषों के अनुसार कार्यवाही एंव अनुमोदित बजट के अनुसार कार्यवाही करना ।

9:– उत्तराखण्ड (उ0प्र0नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) के प्राविधानों के अनुरूप भवन निर्माण करने हेतु प्राधिकरण से नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य है । निर्माण उपविधि,संरचना की स्थिरता और अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं विषयक उपनियमों का उल्लंघन निहित न होने पर निम्नलिखित के लिये मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त करना आवष्यक नहीं होगा –

1:– किसी अन्य स्वामित्व के भवन की ओर खिडकी, दरवाजा या रोषनदान का खुलना निहित न होने पर उन्हें खोलना या बन्द करना ।

2:– आन्तरिक संचार के दरवाजों का प्राविधान ।

3:– आन्तरिक अस्थायी विभाजन ।

4:– उद्यान ।

5:–’ सफेदी करना ।

6:– रंगाई ।

7:– पुनः टाईल्स या छत लगाना ।

8:– पुनः फर्ष लगाना ।

9:– प्लास्टर करने या प्लास्टर की आंषिक मरम्मत ।

10:– अपनी भूमि पर 0.75 मीटर चौडा सनषेड का निर्माण ।

11:– न्यूनतम स्थान के माप दण्डों का उल्लंघन न होने पर कमरे का पुर्नसमावेषन ।

12:– मल, नालियों, मुख्य नालियों ,पाईपों ,केबिलों या अन्य सयन्त्र के निरीक्षण या उनके नवीनीकरण तथा मरम्मत के प्रयोजनार्थ किसी केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय द्वारा, किन्हीं सेवाओं के क्रियान्वयन किये जाने के लिए निर्माण कार्य ।